आज नारनौंद पहुंचेगी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की टीम

आयोग के हस्तक्षेप के बाद हिसार पुलिस ने पीड़ित परिवार को धमकाने वालों के खिलाफ दर्ज की रिपोर्ट, डीएसपी हांसी, एसएचओ नारनौंद भी पहुंचे गांव

- ई पोक्सो में हिसार से पहुंचा पहला मामला
- नारनौंद के एक स्कूल में नाबालिग बालिकाओं के शोषण और खराब खाना परोसने पर दो महिला कुक एवं प्रिंसिपल पर दर्ज हुआ था मामला

भास्कर न्यूज़ | नारनौंद/हिसार

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के ई-पोक्सो में हिसार से पहला मामला दर्ज हुआ। एक स्कूल की नाबालिग छात्राओं के शोषण के मामले में उनके परिवारों को धमकाया जा रहा है। उन पर मुकदमे की वापसी के दबाव बनाया जा रहा है।

गुरुवार को आयोग ने हस्तक्षेप किया तो नारनौंद पुलिस ने पीड़ित परिवार की शिकायत पर चार-पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। स्कूल में छात्राओं के शोषण की पहली शिकायत हिसार के नारनौंद से आयोग में पहुंची थी। आयोग के हस्तक्षेप के बाद इस प्रकरण में स्कूल की दो महिला कुक एवं प्रिंसिपल के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

इसके बाद नामजद आरोपियों के अलावा उनके सहयोगियों ने पीड़ित परिवार पर मुकदमे की वापसी के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। गुरुवार को पीड़ित परिवार के साथ बदसलूकी की गई। इसकी शिकायत मिलने पर आयोग ने हस्तक्षेप करते हुए एसपी को अवगत कराया। एसपी के निर्देश पर हांसी के डीएसपी नरेंद्र कादियान एवं नारनौंद एसएचओ गांव पहुंचे और पीड़ित पर परिवार से मिलकर पूरी जानकारी हासिल की।

यह था छात्राओं के उत्पीड़न का मामला

नारनौंद कस्बे के एक स्कूल में छात्राओं का प्रकरण मई माह से चल रहा है। हॉस्टल वार्डन व विद्यालय में कार्यरत दो महिला कुकों के बीच छात्राओं को लेकर कई बार कहासुनी होती रही। स्कूल की छात्राएं पहले भी दोनों कुकों पर शारीरिक शोषण व खराब खाना परोसने का आरोप लगाकर शिकायत हॉस्टल वार्डन व स्कूल के इंचार्ज से कर चुकी हैं। यह मामला राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग दिल्ली पहुंचा तो आयोग की टीम ने स्कूल में पहुंचकर हॉस्टल वार्डन, स्कूली छात्राएं और स्कूल के इंचार्ज सहित परिजनों से मुलाकात की। आयोग की टीम ने जांच को पूरी तरह से गोपनीय रखा है। आयोग की टीम की जांच के बाद शुक्रवार की रात्रि को पुलिस को बुलाया गया। पुलिस की महिला एसआई सरोज बाला ने शोषण की शिकार एक छात्रा के अलावा कई अन्य छात्राओं से बातचीत की। इसके बाद एक छात्रा की ओर से तीन सितंबर को स्कूल की दो महिला कुक एवं स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

आज गांव में परिवार से मिलेगी आयोग की टीम

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के निर्देश पर राज्य आयोग की टीम शुक्रवार को गांव पहुंचेगी। पूरे मामले की जांच करेगी। इसके अलावा पीड़ित परिवार और उन छात्राओं से मिलेगी जिनका स्कूल में शोषण किया गया है। नौ माह पहले गठित इस आयोग में यह देश का पहला मामला है।''

-वीके गोयल-सदस्य, राज्य बाल अधिकारी संरक्षण आयोग।

डीएसपी बोले : गहनता से की जा रही जांच

स्कूल में छात्राओं के शोषण और उत्पीड़न के दर्ज मामले को लेकर कुछ लोग पीड़ित परिवार पर मुकदमा वापसी और समझौते का दबाव बना रहे हैं। इसकी शिकायत मिली थी। पूरे मामले की गांव जाकर जांच की गई। इसके बाद पीड़ित परिवार की शिकायत पर चार पांच लोगों के खिलाफ दबाव बनाए और धमकी देने का मामला दर्ज कराया गया है।''

-नरेंद्र कादियान, डीएसपी, हांसी।